न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.
अपील संख्या 59/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/34)

1. हंसराज पुत्र श्री हेतराम जाति जाट, निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र श्री बुलाकीराम जाति ब्राह्मण, निवासी भूकरका वाली गली नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हीरालाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति सोनी, निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनीराम पांडिया पुत्र ओमप्रकाश पांडिया जाति ब्राह्मण निवासी नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुनील कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. प्राधिकृत अधिकारी एव अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 4
3. श्री विजय कुमार पारीक– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 31.01.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ निर्णय दिनांक 08.08.2023 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के अधीन कृषि का गैर कृषिक प्रयोजन का उपयोग हेतु अपने आदेश दिनांक 08.08.2023 द्वारा पत्थर नम्बर 158/415, किला नं. 13/3 की 0.0880 है0, यानि 880 वर्गमीटर भूमि का व्यवसायिक उपयोग हेतु रूपान्तरण किया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2023 को निरस्त किया जाकर व राजस्व रिकार्ड मे कृषि भूमि का इन्द्राज करते हुए

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

भूमि का विभाजन पश्चात ही भू–रूपान्तरण करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 4 के अभिभाषक ने दिनांक 16.01.2024 को दोनो ने मिलकर सयुक्त रूप से राजीनामा प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रावतसर व तहसीलदार राजस्व रावतसर को नक्शा में सलग्न नक्शानुसार दोनो पक्षो के पट्टो मे तरमीम करने के आदेश प्रदान किये जावे। भूरूपान्तरण आदेश मे दक्षिण मे जो 40 फुट की सड़क दिखाई हुई है, को निरस्त करते हुए दक्षिण में भूखण्ड हंसराज पुत्र हेतराम जाति जाट का किला नं. 13/4 दर्ज करने के आदेश प्रदान करे। एवं उत्तर मे अप्रार्थीगण के पट्टे को कायम रखे जाने का आदेश प्रदान करे। इसी अनुसार अपील का निस्तारण करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

5. दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थी प्रवीण कुमार, हीरालाल, मनीराम पांडिया, सुनील कुमार स्वय उपस्थित हुवे। तथा प्रार्थी हंसराज की ओर से उनके पुत्र रामस्वरूप ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि पिता जी अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो पाये है, उनकी ओर से में उपस्थित हुआ हूॅ। सभी पक्षकारो ने राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो/पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नक्शा की तथा उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ के आदेश दिनांक 08.08.2023 के विरूद्व पेश की गई है, जिसके द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के अधीन कृषि का गैर कृषिक प्रयोजन का उपयोग हेतु अपने आदेश दिनांक 08.08.2023 द्वारा पत्थर नम्बर 158/415, किला नं. 13/3 की 0.0880 है0, यानि 880 वर्गमीटर भूमि का व्यवसायिक उपयोग हेतु रूपान्तरण किया गया है। चूॅकि उभय पक्ष द्वारा आपसी राजीनामा कर लिया है तथा किसी भी पक्षकार का राजीनामा/

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नक्शा सलग्न राजीनामा से इन्कार नही है। राजीनामा/ नक्शा सलग्न राजीनामा पर पक्षकारान एवं उनके अधिवक्तागण श्री बालकिशन शर्मा एवं मदन सुरोलिया के हस्ताक्षर है। उभय पक्ष मुताबिक राजीनामा/ नक्शा सलग्न राजीनामा के अनुसार अपील का निस्तारण किए जाने बाबत सहमति प्रकट की है। अतः उभयपक्षकारान द्वारा सहमति से उक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामें के मध्यनजर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ का आदेश दिनांक 08.08.2023 खारिज किया जाता है। तथा प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर जिला हनुमानगढ को प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि माफिक राजीनामा तथा स्थापित विधि व नैसृगिक न्याय के सिद्वान्तो की पालना करते हुए प्रकरण का निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रति मय राजीनामा/नक्शा सलग्न राजीनामा की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर